मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

दूरभाष- 0755–2708493 ई-मेल- pssocialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/525/2021/26-2 भोपाल दिनांक 25-02-2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
2. समस्त आयुक्त नगर निगम मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी मध्यप्रदेश

विषयः- जनहानि एवं मृत्यु के प्रकरणों में समय-सीमा में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भः- कार्यालय मुख्यमंत्री से प्राप्त नोटशीट क्रमांक 757 दिनांक 05.02.2021 एवं संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण का पत्र क्रमांक 103 दिनांक 03.02.2021

---0---

कृपया समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम दिनांक 02.02.2021 में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों का स्मरण करें। मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा जनहानि एवं मृत्यु के प्रकरणों में संवेदनशील रूप से तय समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाकर हितग्राही को सहायता राशि का शीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है जिसमें बी.पी.एल परिवार के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य स्त्री पुरूष जिनकी आयु 18 से अधिक किन्तु 60 से कम की प्राकृतिक/अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त 20000/- रूपये राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। साथ ही विभाग द्वारा पात्र कल्याणी महिलाओं को कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन भी स्वीकृत की जाती है। मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये -

1. जनहानि एवं मृत्यु के प्रकरणों के तत्काल राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत पात्रतानुसार समय-सीमा में स्वीकृति कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
2. कल्याणी महिलाओं को विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं में स्वीकृति के समय राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की पात्रता का भी अनिवार्य रूप से परीक्षण कर पात्रतानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाये। इस हेतु पृथक से आवेदन की प्रतीक्षा ना की जाये।
3. वर्तमान में जिन हितग्राहियों की कल्याणी पेंशन दी जा रही है, उन सभी के प्रकरणों को परीक्षण किया जाए और यदि NFBS की पात्रता पाई जाती हो तो उन्हें NFBS की राशि स्वीकृत की जाए।

निरंतर......2

4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की स्वीकृति के साथ ही मृतक की पत्नी को पात्रतानुसार सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन अथवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाये।
5. योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु स्थानीय निकाय (ग्रामीण/शहरी) से समन्वय कर संवेदनशीलता से समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्रमांक/संनप्रवि/2021/3895 भोपाल, दिनांक 24/02/2021 एवं संचालक, पंचायत राज संचालनालय का पत्र क्रमांक /पं.रा./एफ-1/2021/204 भोपाल, दिनांक 24/02/2021 सुलभ संदर्भ हेतु Annexure A & B पर अंकित है।
6. योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिक से अधिक आमजन योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(प्रतीक हजेला)
प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/526/2021/26-2 भोपाल दिनांक 25-02-2021

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मान. मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय।
4. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय।
5. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग मंत्रालय ।

की ओर कृपया सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2555006
Email:-vikassengar@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक / संनप्रवि / 2021 / 3895 भोपाल, दिनांक 24-02-2021

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम (म.प्र.)

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकरी,
नगर पालिका / नगर परिषद, (म.प्र.)

विषय :– **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रकरणों को तत्काल स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

संदर्भः– **संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, म.प्र., भोपाल का पत्र क्रमांक 103 दिनांक 03.02.2021**

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (प्रति संलग्न), जिसके अनुसार राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की सी.एम.हेल्पलाइन में लंबित पात्र प्रकरणों का परीक्षण कर ऐसे हितग्राही जिन्हे कल्याणी पेंशन प्राप्त हो रही हो, उन प्रकरणों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य स्त्री–पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु के हो, की प्राकृतिक / अप्राकृतिक रुप से मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त राशि रुपये 20,000 /– की आर्थिक सहायता प्रदान करने की कार्यवाही, नियमानुसार किए जाने के निर्देश दिए गए है।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि, निकाय अंतर्गत उक्त विषय से संबंधित प्राप्त सी.एम.हेल्पलाइन शिकायतों एवं अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनो का समय–सीमा में निराकरण व भुगतान संबंधी कार्यवाही, संबंधित सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र / संनप्रवि / 2021 / 3896 भोपाल, दिनांक 24-02-2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)।
2. प्रमुख सचिव, सामाजिक एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, (म.प्र.)।
3. समस्त जिला कलेक्टर, (म.प्र.)।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, (म.प्र.)।

आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल
Telephon No.0755-2557727,Fax No.0755-2552899, E-mail adress: dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा./एफ-1- /2021/204 भोपाल, दिनांक 24 .02.2021

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत- समस्त म0प्र0।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत-समस्त म0प्र0

विषयः- **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रकरणों को तत्काल स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

संदर्भ:- **सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण संचालनालय म0प्र0 का पत्र क्रमांक 103 दिनांक 03.02.2021**

-0-

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की सी.एम. हेल्पलाईन में लंबित पात्र प्रकरणों का परीक्षण कर ऐसे हितग्राही जिन्हे कल्याणी पेंशन प्राप्त हो रही हो, उन प्रकरणों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य स्त्री-पुरूष, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु के हो, की प्राकृतिक/अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त राशि रूपये 20,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करने की कार्यवाही नियमानुसार किए जाने के निर्देश दिए गए है।

अत: उपरोक्त के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत अंतर्गत उक्त विषय से संबंधित प्राप्त सी0एम0 हेल्पलाईन शिकायतों एवं अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण व भुगतान संबंधी कार्यवाही, संबंधित सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- संदर्भ की प्रतिलिपि

(निधि निवेदिता)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय, म0प्र0

पृ0क्रमांक/पं.रा./एफ-1-   /2021   भोपाल, दिनांक   .02.2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

संचालक

पंचायत राज संचालनालय, म0प्र0

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर भोपाल–462003
फैक्स 2552665 ई–मेल dpswbpl@mp.nic.in

क्रमांक / सा.सहा.–3 / 2021 / 103 भोपाल दिनांकः 03/02/2021

प्रति

समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
मध्यप्रदेश

विषयः'– राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रकरणों को तत्काल स्वीकृत करने बावत् ।

––––0––––

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य स्त्री–पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु के हो, की प्राकृतिक / अप्राकृतिक रुप से मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त राशि रु0 20000 / – की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

जिला बैतूल में संज्ञान में आये प्रकरण में दिनांक 2 फरवरी, 2021 को समाधान आनलाईन के प्रकरणों की सीमक्षा में पाया गया कि श्रीमति पिंकी पति गुडई सिंह को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने से माह दिसम्बर, 2019 में कल्याणी पेंशन योजना के तहत राशि रूपये 600 / – मासिक पेंशन स्वीकृत की गई थी, किन्तु राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन नहीं भरवाया जाकर रूपये 20,0000 / – की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई थी ।

उक्त प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है की राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के सी.एम.हेल्पलाईन में लंबित पात्र प्रकरणों का परीक्षण कर ऐसे हितग्राही जिन्हे कल्याणी पेंशन प्राप्त हो रही हो उन प्रकरणों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य स्त्री–पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु के हो, की प्राकृतिक / अप्राकृतिक रुप से मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त राशि रु0 20,000 / – की आर्थिक सहायता प्रदान करने की कार्यवाही आगामी दस दिवस में नियमानुसार स्वीकृत कर इस संचालनालय को पृथक से अवगत कराने का कष्ट करें। सी.एम.हेल्पलाईन के प्रकरणों का परीक्षण कर 15 दिवस में निराकरण की कार्यवाही पूर्ण करें इसके पश्चात यदि कोई भी प्रकरण समाधान आनलाईन के संज्ञान में आने पर उसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी रहेंगे ।

3/2/2021

(स्वतंत्र कुमार सिंह)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.

पृ. क्रमांक/सा0सहा0–3/2021//104 भोपाल दिनांक 03/02/2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त नगर निगम आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत परिषद् म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3/2/2021

संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश